न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2021 / 11 दर्ज तिथिः— 01.01.2021

1. हरीराम पुत्र हेमाराम
2. अर्जुनराम पुत्र पीराराम
3. केसाराम पुत्र पीराराम
4. जीवाराम पुत्र पीराराम

निवासी अरटवाव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

............................वादीगण

बनाम

1. बाबु पुत्र धर्मा
2. बुधा पुत्र धर्मा
3. नेना पुत्र धर्मा
4. आसु पुत्र धर्मा
5. ओमा पुत्र धर्मा
6. दिनेश पुत्र धर्मा
7. केली पत्नी धर्मा

जातियान विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

8. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी
9. उपपंजीयक एवं तहसीलदार गुडामालानी

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री बाबूलाल विश्नोई

दावा अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—22.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया—
   - कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01—07 चचेरे भाई होकर हिन्दू विधि से शासित है। असल में प्रतिवादी संख्या 01—07 का पूर्वज धर्माराम, वादी संख्या 01 हरीराम व वादी संख्या 2—4 के पूर्वज पीराराम आपस में मा जाए भाई है। जिनकी एक ही माता मीरा है। प्रतिवादी संख्या 01—07 के पूर्वज जोधाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested

की शादी मीरा से हुई थी। इस प्रकार जोधाराम व मीरा से प्रतिवादी संख्या 01–07 के पूर्वज धर्माराम का जन्म का जन्म हुआ। तत्पश्चात धर्माराम के नवजात होने की स्थिति में जोधाराम की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मीरा का अपने देवर हेमाराम के साथ चुनड़ी ओढ़कर सामाजिक रिति रिवाज से संबंध स्थापित किये गये। इस प्रकार हेमाराम व मीरा के संबंधों से वादी हरीराम व वादी संख्या 02–04 के पिता पीराराम का जन्म हुआ। इस प्रकार धर्माराम, हरीराम व पीराराम अपनी माता मीरा के साथ अपना जीवनयापन करते हुए मुतनाजा आराजी पर काबिज काश्त रहे।

- इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर धर्माराम का 1/2 हिस्सा तथा हरीराम व पीराराम का 1/2 हिस्सा था। वक्त बंदोबस्त मुतनाजा आराजी पर केवल धर्माराम का नाम दर्ज किया गया। इस बात का माता मीरा को ज्ञान होने पर धर्माराम को मुतनाजा आराजी पर 1/2 हिस्से की आराजी हरीराम व पीराराम के नाम दर्ज करवाने हेतु समझाईश की गई। उक्त समझाईश के पश्चात मौखिक सहमति के आधार पर धर्माराम द्वारा मुतनाजा आराजी पर 1/2 हिस्से का बख्शीशनामा हरीराम व पीराराम के नाम पंजीबद्ध करवाया जाकर मौके पर कब्जा काश्त करवाई गई।
- परंतु धर्माराम द्वारा ही बख्शीशनामा लिखवाने व निष्पादित करवाने के दौरान चालाकी से रकबा कम दर्ज करवाया। उक्त कम रकबे के बख्शीशनामा के आधार पर कम रकबे की तरमीम अंकित की गई। इस प्रकार वादी की मौके पर काबिज रकबे से कम रकबे की तरमीम अंकित की गई।
- इस प्रकार वादी द्वारा निम्न प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का निवेदन किया है कि–
    - ❖ वादी को मुतनाजा आराजी कुल रकबा 196–02 बीघा पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।
    - ❖ वादीगण व धर्माराम के मध्य हुए मौखिक करार के अनुसार अविभाजित खसरा संख्या 501 रकबा 78–04 बीघा व खसरा संख्या 478 रकबा 39–11 बीघा में से 19–16 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।
    - ❖ प्रतिवादीगण को वादीगण की 1/2 हिस्से की आराजी पर कोई दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण के द्वारा असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया–
    - कि वादी हरीराम के खेत खसरा संख्या 501/1/6.5802 है0 (40–13 बीघा) है जो सड़क मार्ग से लगता हुआ है। वर्तमान में हरीराम का कब्जा भी 40–13 बीघा पर ही है। उक्त खसरा हरीराम ने पूर्व में जरिये बख्शीशनामा लिया था। जिसकी तरमीम रकबे से ज्यादा हो गई थी। उक्त गलत तरमीम को हम राजीनामे से सही करवाते हुए वर्तमान में जमाबंदी के रकबे अनुसार 6.5802 है0 (40–13 बीघा) करवाना चाहते है। इसके अलावा वादी द्वारा चाही गई घोषणा की इश्तदुआ को प्रत्याहारित करते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested

- प्रतिवादी के खेत खसरा संख्या 501/12.6585 है0 की तरमीम रकबे से कम हो गई थी। उक्त गलत तरमीम को हम राजीनामे से सही करवाते हुए वर्तमान में जमाबंदी के रकबे अनुसार करवाना चाहते है।
- वादी हरीराम व प्रतिवादी द्वारा तरमीम दुरूस्ती का नजरी नक्शा सहमति से पेश किया है। जिसमें हरीराम का हिस्सा बरंग हरा से प्रदर्शित है एवं प्रतिवादी का हिस्सा बरंग पीला से प्रदर्शित है। प्रतिवादीगण का हिस्सा हरीराम के हिस्से के पूर्वी सेढ़े से एक रास्ते के रूप में खातेदारी से सड़क मार्ग तक जोड़ा जाएगा। जिसकी चौड़ाई 20 फिट है। उक्त भाग पर हरीराम के सेढ़े पर सीणों की तारबंदी प्रतिवादीगण करेगा तथा उक्त सीणों व तारबंदी को उभय पक्ष नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

3. प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–01 में प्रावधान बनाये गये हैं। जिसका उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. Parties not at issue.—

(1) Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे पर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं तरमीम दुरूस्ती से संबंधित है। असल में उभय पक्षकारान का राजीनामा एक तरह से आराजी का विनिमय या चकबंदी के रूप में है। उक्त इश्तदुआ प्रदान करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–48, 49 तथा धारा–88, 89 व 91 में प्रावधान किये जाकर सहायक कलक्टर को अधिकृत किया हुआ है। अतः

आदेश है कि

दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी व प्रतिवादी को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा व संलग्न नक्शा के अनुसार राजस्व इन्द्राज व नक्शा दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये। उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा व संलग्न नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

आज 22.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/11 दर्ज तिथिः– 01.01.2021

5. हरीराम पुत्र हेमाराम
6. अर्जुनराम पुत्र पीराराम
7. केसाराम पुत्र पीराराम
8. जीवाराम पुत्र पीराराम
निवासी अरटवाव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

............................वादीगण

बनाम

10. बाबु पुत्र धर्मा
11. बुधा पुत्र धर्मा
12. नेना पुत्र धर्मा
13. आसु पुत्र धर्मा
14. ओमा पुत्र धर्मा
15. दिनेश पुत्र धर्मा
16. केली पत्नी धर्मा
जातियान विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
17. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी
18. उपपंजीयक एवं तहसीलदार गुडामालानी

...........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः–श्री बाबूलाल विश्नोई

दावा अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी व प्रतिवादी को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा व संलग्न नक्शा के अनुसार राजस्व इन्द्राज व नक्शा दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested